कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्रीमती कल्पना जोशी प्रधानाचार्या, राबाउमावि–सुल्तानपुर कोटा का स्थानान्तरण राउमावि–करवाड जिला कोटा किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती कल्पना जोशी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1784/2018 श्रीमती कल्पना जोशी बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.07.18 द्वारा विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती जोशी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा जारी उक्त अंतरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/1784/2018 दिनांक 01.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य रिव्यू डीपीसी/01–02 से 17–18/2018 दिनांक 28.5.2018 द्वारा सरिता कुमारी प्र.अ. एस.एस.एन राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय–ढांढरिया, झुन्झुनु को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–जोचिना, नागौर में पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध सरिता कुमारी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1486/2018 सरिता कुमारी बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई।

अपील सं 1486/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 द्वारा अपील को ग्राहयता के क्रम पर ही समुचित निर्देशों के साथ अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए वरीयता क्रम में अपीलार्थी का जिस क्रम पर नाम आया है वहां तक के पदौन्नत प्रधानाचार्यो की रिक्त पदों को शामिल करते हुए पुनः काउन्सलिंग किये जाने व तब तक आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2018 की अपीलार्थी एवं इससे ऊपर वरीयता क्रम में आने वाले प्रधानाचार्यों की सीमा तक कियान्विति स्थगित रखे जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पुनः परामर्श की कार्यवाही में उसी दशा में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जबकि उसे प्रश्नगत पदौन्नति पर कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 01.06.2018 के बाद अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई हो और अपीलार्थी को अभी भी पदौन्नति पर कार्यग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो। माननीय अधिकरण द्वारा पुनः परामर्श की कार्यवाही में ऐसे पदौन्नत प्रधानाचार्य को जिन्होनें पदौन्नति पर कार्यग्रहण कर लिया है अथवा पदौन्नति का परित्याग कर दिया है, सम्मिलित नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सरिता कुमारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में परिवेदना की गई कि परामर्श कैम्प के समय प्रदर्शित रिक्तियों में झुन्झुनु जिले की रिक्तियां प्रदर्शित नहीं की गई जिसके कारण विधवा वर्ग की महिला होते हुए भी अपीलार्थी को अन्यत्र/नागौर जिले में पदस्थापन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करना पडा, जबकि विभाग द्वारा कालान्तर में जारी अन्य पदस्थापन आदेश में इनसे कनिष्ठ कार्मिकों को जिला झुन्झुनु में प्रधानाचार्य–उमावि के रूप में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा स्वयं के विधवा होने के आधार पर झुन्झुनु जिले में जुलाई व अगस्त में रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद–राउमावि काजडा, सूरजगढ, झुन्झुनु या राउमावि–देवरोड, सूरजगढ, झुन्झुनु में पदस्थापित किये जाने सम्बन्धी परिवेदना की गई।

अपीलार्थी सरिता कुमारी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि सरिता कुमारी द्वारा दिनांक 01.06.2018 को राउमावि–जोचिना, नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया था एवं उन्हें प्रश्नगत पदौन्नति पर कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 01.06.2018 के बाद किसी प्रकार की कोई अभिवृद्धि प्रदान नहीं की गई थी। अतः माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में सरिता कुमारी राउमावि–जोचिना, नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगी। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सरिता कुमारी/अपील/1486/2018 **दिनांक** 01.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

1.8.18
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्रीमती कल्पना जोशी प्रधानाचार्या, राबाउमावि–सुल्तानपुर कोटा का स्थानान्तरण राउमावि–करवाड जिला कोटा किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती कल्पना जोशी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1784/2018 श्रीमती कल्पना जोशी बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.07.18 द्वारा विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती जोशी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा जारी उक्त अंतरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/1784/2018 दिनांक 01.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा प्रधानाचार्य सेठ सिंधाराम राउमावि गोठडा, नवलगढ, झुन्झुनु का स्थानान्तरण राआउमावि–हरसोला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 799/2018 श्री अशोक कुमार शर्मा बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा दायर की गई।

अपील संख्या 799/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों मुख्यतः अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाहित में अपीलार्थी को दिनांक 27.06.2018 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.07.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.218 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपीलार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट शारीरिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपना स्थानान्तरण निरस्त कर सेठ सिंधाराम राउमावि गोठडा, झुन्झुनु में ही प्रधानाचार्य के पद पर यथावत रखने अथवा दिनांक 31.08.18 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद–प्रधानाचार्य राउमावि–जेजूसर झुन्झुनु में पदस्थापित किये जाने की परिवेदना की गई।

प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा से सम्बन्धित अभिलेखों का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी **श्री अशोक कुमार शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राआउमावि–हरसोला, नागौर के लिए कार्यमुक्त होकर दिनांक 04.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण** कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें। **श्रीमती सन्तोष मूण्ड विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.07.2018 की पालना में सेठ सिंधाराम राउमावि–गोठडा, नवलगढ झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अशोक कुमार शर्मा/अपील/799/2018 **दिनांक 01.8.18**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/अजमेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)